अधिसूचना सं0 20/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क्य माल की कीमत अवधारण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क्य माल की कीमत अवधारण) संशोधन नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क्य माल का कीमत अवधारण) नियम, 2000 (जिसके इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 में स्पष्टीकरण 1 से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां ऐसे उत्पाद शुल्क्य माल के विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल नहीं है और उनका निर्धारिती द्वारा विक्रय विनिर्माण लागत और लाभ से कम कीमत पर किया जाता है और ऐसे निर्धारिती को क्रेता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, वहां ऐसे माल का मूल्य संव्यवहार मूल्य समझा जाएगा ।"।

(फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 45/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) द्वारा सा.का.नि. सं. 575(अ) तारीख 30 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 14/2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) द्वारा सा.का.नि. 748(अ) तारीख 22 नवंबर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।